

त्रिपुरा में तेल की खोज

4501. श्री विवेक शर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बता सकते हैं कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा क्षेत्र में पचने तेल की संभावनाओं का पता लगाने के बाद वहां तेल निकालने का काम प्रारंभ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम तब प्रारंभ किया गया तथा उस क्षेत्र में प्रति-दिन तेल का कितना औसत उत्पादन किया जाता है ;

(ग) क्या उस क्षेत्र में उत्पादन लागत के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कच्चे तेल और गैस की अनुमानित लागत कितनी है और क्या वहां उत्पादित गैस का उपयोग करने के लिए कोई परियोजना तैयार की है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और

(ङ) उस क्षेत्र में कितने मूल्य की कितनी गैस बिना उपयोग के व्यर्थ हो रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। त्रिपुरा में तेल के किसी वाणिज्यिक भंडार का पता नहीं चला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसार, त्रिपुरा में वर्ष 1991-92 के दौरान गैस की औसत उत्पादन लागत 11,848 रुपये प्रति 1000 घन मीटर आती है। 1.74 एम एम एस सी एम डी गैस का सुनिश्चित आर्बटन और 3.4 एम एम एस सी एम डी गैस का "सिद्धांत रूप में" आर्बटन किया गया है। वर्ष 1991-92 में त्रिपुरा में गैस का उपयोग 0.22 एम एम एस सी एम डी था।

(ङ) त्रिपुरा की गैस को "असम्बद्ध" गैस है, अतः इसका दहन नहीं किया जाता है, जिसे आवश्यकतानुसार इसका उत्पादन किया जाता है। इसलिए, कोई गैस व्यर्थ नहीं जा रही है।

मिलावटी पेट्रोल की बिक्री

4502. श्री राम गोपाल यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बता सकते हैं कि :

(क) क्या दिल्ली और कानपुर के बीच राष्ट्रीय राज मार्ग स-2 पर पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल में मिट्टी का तेल मिलावट के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) इस मिलावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) यद्यपि मिलावट के संबंध में आम शिकायतें प्राप्त होती हैं, परंतु दिल्ली और कानपुर के बीच राजमार्ग नं. 2 पर मिलावट के संबंध में विशेष शिकायत सरकार को नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) पेट्रोल और डीजल में मिलावट रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :—

(1) तेल कंपनी के अधिकारियों द्वारा नियमित और अचानक निरीक्षण।

(2) एम एस और एच एस डी नियंत्रण आदेश, 1990 के अधीन बनत्व की जांच।

(3) चुनिंदा स्थानों पर फरफुरल के साथ मिट्टी के तेल की डोपिंग।

(4) चल-प्रयोगशालाओं द्वारा अचानक निरीक्षण।

(5) राज्य सरकारों द्वारा बुदरा बिक्री केंद्रों का अचानक निरीक्षण।